<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

<u>संख्या - 88/487/84-2-2013-7(वि0)/2013</u>

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 नवम्बर 2013

विषय मा0 सांसदों एवं विधानमण्डल के सदस्यों द्वारा जनपद एवं शासन स्तर पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-75/450/84-2-2013-7(वि0)/2013, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अनु सचिव, खाद्य तथा रसद (डेस्क इकाई), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-639/29-उ0ई0/2013, दिनांक 28 नवम्बर, 2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 08 नवम्बर, 2013 में वांछित सूचना अप्राप्त है। अत: अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत वांछित सूचना आज ही दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति को समयान्तर्गत अवगत कराया जा सके।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in